न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– उम्मेद सिंह रत्नू आर.ए.एस.

अनवान :– प्रार्थना पत्र संख्या 72/2020

सुभाष चन्द्र पुत्र श्री ईमीलाल जाति कुम्हार निवासी वार्ड नम्बर 02, 15 एम.एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)

– – वादी

–:: बनाम ::–

राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर

– – प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

–:: उपस्थिति ::–

1. श्री महेश दादरवाल – – वादी
2. पैरोकार राज – – प्रतिवादी 1

– :: निर्णय ::–

दिनांक :–07.01.2021

वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी का मुख्य पेशा खेती है। वादी के नाम से वाके चक 15 एमएल पटवार हल्का 6 एल.एनपी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 179/40 के मुरब्बा नम्बर 14 के किला नम्बर 18/2 में 0.063 है. किला नम्बर 19 की 0.177 है., किला नम्बर 22/2 की 0.151 है., किला नम्बर 23/2 में 0.228 है. कुल 0.619 हैक्टयर रकबा खातेदारी है। जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 संलग्न है जिसमें वादी का नाम सुभाष पुत्र ईमीलाल है। वादी का नाम वास्तव में सुभाष चन्द्र है तथा वादी के दस्तावेज आधार कार्ड, पेन कार्ड व डी/एल एवं जनआधार कार्ड में भी वादी का नाम सुभाष चन्द्र दर्ज है। वादी ने उक्त रकबा पूर्व खातेदार बलराम उर्फ बलवंत से खरीद किया हुआ है जिसके दस्तावेज बैयनामा में भी वादी का नाम सुभाष चन्द्र दर्ज है। लेकिन राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम सुभाष दर्ज हो गया है। वादी के दस्तावेजो में वादी का नाम सुभाष चन्द्र होने व राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम सुभाष दर्ज होने के कारण नाम मिलान नही होने के कारण वादी को राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा दी जा रही योजनाओं में लाभ उठाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि राजस्व रिकार्ड व दस्तावेजो में नाम भिन्न है। वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के समक्ष नाम को सही करवाने हेतु प्रार्थना की गयी तो उनके द्वारा श्रीमान जी का आदेश लाने पर नाम दुरूस्त करने के लिए कहा गया। इसलिए वादी उक्त वाद प्रस्तुत कर रहा है। इसलिए वादी को आज दिनांक से निरन्तर वाद कारण प्राप्त है।अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे।

(क) यह कि वादी का नाम वाके चक 15 एमएल के मुरब्बा नम्बर 14 की कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में अंकित वादी का नाम सुभाष के स्थान पर सुभाष चन्द्र दर्ज किये जाने की कृपा करे।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

(ख) अन्य अनुतोष जो श्रीमान न्यायालय उचित समझे दिलवाया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर पैरोकार राज तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर से जांच रिपोर्ट ली गई। पैरोकार राज तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा रिपोर्ट पेश की गई, प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार चक 15 एम एल के खाता संख्या 179 के मु.नं. 14 में 0.619 हैक. रकबा मुताबिक जमाबंदी सुभाष चन्द्र पुत्र इमीलाल जाति कुम्हान देह खातेदार र्द है वादी का नलाम अन्य इदस्तावेजा ड्राईवर लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटरकार्ड में सुभाष चन्द्र दर्ज है। अतः वादी का नाम सुभाष की जगह सुभाष चन्द्र किया जाना उचित है।

–:: आदेश ::–

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में जमाबंदी सम्वत् 20706–2073 ग्राम का नाम 15 एमएल, पटवार हल्का 6 एलएनपी, भू.अ.नि.क्षे. चकमहाराजका खाता संख्या 179/40, ड्राइविंग लाइसेंस, पेन कार्ड, आधार कार्ड,जन आधार कार्ड की प्रति पेश की। तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अभिलेखीय साक्ष्यों एवम् तहसीलदार श्रीगंगानगर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने पर वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जमाबंदी सम्वत् 20706–2073 ग्राम का नाम 15 एमएल, पटवार हल्का 6 एलएनपी, भू.अ.नि. क्षे. चकमहाराजका खाता संख्या 179/40, मुरब्बा नम्बर 14 मे प्रार्थी का नाम सुभाष के स्थान पर सुभाष उर्फ सुभाष चन्द्र दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 07.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेदसिंह रत्नू)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner